

	(2) निम्नलिखित को जमा किया जाएगा और यह ग्राम परिषद निधि का भाग बनेगा, अर्थात् – (क) धारा 36 के अन्तर्गत अधिरोपित किसी कर अथवा शुल्क से प्राप्ति; (ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अंशदान; (ग) किसी भी प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित धन राशि ग्राम परिषद निधि में जमा किया जाएगा; (घ) ग्राम परिषद निधि से निवेशित सुरक्षाओं से प्राप्त आय; (ङ) भू राजस्व अथवा अन्य सरकारी देय राशि से एकत्रित शेष; (च) ऋण और उपहारों से प्राप्त सभी राशि; (छ) ग्राम परिषद के प्रबन्धन के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग से प्राप्त आय; (ज) ग्राम साधारण निकाय की किसी सम्पत्ति से प्राप्त आय; (झ) ग्राम परिषद के कर्मियों द्वारा एकत्रित सभी प्रकार के रेत, कूड़ा कर्कट, खाद की बिक्री से आय; (ञ) सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम परिषद निधि से प्राप्त धन राशि ; (ट) किसी भी संस्थान में व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की सभी राशि अथवा ग्राम परिषद निधि से दी जाने वाली सेवा अथवा लगाई राशि को ग्राम परिषद द्वारा प्रबन्धित किया जाएगा । (3) ग्राम परिषद निधि में राशि उपबन्धों के अधीन लागू किया जाएगा और इस विनियम के प्रयोजन के लिए तथा निर्धारित किए गए अनुसार इसे ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।	
	34. प्रशासक ऐसे शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे सामान्य प्रयोजन हेतु अथवा ग्राम के सुधार के लिए तथा इसमें रहने वाले निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम परिषद को अनुदान दे सकता है ।	अनुदान